

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - हेमन्त कुमार घनघोर (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या-72/2021

1- धर्मेन्द्रसिंह पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

बनाम

- 1- रामविलास पुत्र गजाधर
- 2- जोगेन्द्र सिंह
- 3- राधेश्याम
- 4- राजेन्द्र सिंह
- 5- गंगादेई पत्नी घूरे
- 6- विद्या देवी पत्नी रामसिंह
- 7- हमीर सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति ठाकुर निवासी न्यू आदर्श कॉलोनी बाडी रोड धौलपुर तह. व जिला धौलपुर।
- 8- बनवारी सिंह पुत्र बिजेन्द्र सिंह
- 9- कल्पना देवी पत्नी बनवारी सिंह
- 10- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ व हैसियत लैण्ड होल्डर

समस्त जातिगण ठाकुर निवासीगण तसीमों तह0 सैंपऊ जिला धौलपुर।

जाति ठाकुर निवासीगण गौशाला धौलपुर।

..... प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अधीन
धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति - 1- श्री शेष कुमार एडवोकेट..... (वादीगण)

निर्णय

दिनांक

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी. खाता संख्या 193 के खसरा नम्बर 3240/184 रकवा 0.6449 हे. स्थित ग्राम तसीमों व खाता संख्या 398 के खसरा नम्बर 204 रकवा 0.3794 हे. ख.न. 206 रकवा 0.3161 हे. ख.न. 225 रकवा 0.3035 है। कुल किता 3 कुल रकवा 0.9990 हे. स्थित ग्राम तसीमों व खाता संख्या 387 के ख.न. 330 रकवा 0.6323 हे. स्थित ग्राम तसीमों तथा खाता संख्या 397 के ख.न. 213 रकवा 0.1012 हे. स्थित ग्राम तसीमों व खाता संख्या 399 के ख.न. 187 रकवा 0.3288 हे., 188 रकवा 0.3667 हे. कुल किता 2 कुल रकवा 0.6955 हे. स्थित वाके तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 19.10.2022 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैंपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी




उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

आराजी के पक्षकारों के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांक:राजस्व/2023/306 दिनांक 19.09.2023 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादीगण अभिभाषकगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया तथा विद्वान वादीगण अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने बाबत सहमति जाहिर की एवं हस्ताक्षर किये। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम तसीमों प.ह. तसीमों तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:-

1- हम्मीर पुत्र ओमप्रकाश जाति ठाकुर सा.देह खातेदार

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3240/184/1	0.3022

योग किता- 1 रकवा-0.3022 हैक्टेयर

2- धर्मेन्द्र पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	3240/184/2	0.3427
2.	330/2	0.1891

योग किता- 2 रकवा-0.5318 हैक्टेयर

3- जोगेन्द्र पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर सा०देह० खातेदार ।


क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	330/1	0.4432

योग किता- 1 रकवा-0.4432 हैक्टेयर

4- कल्पना पत्नी बनवारी हि० 127/455 बनवारी पुत्र विजेन्द्र हि० 328/455 जाति ठाकुर सा० गौशाला धौलपुर खातेदार ।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	213	0.1012
2.	206/1	0.2628

योग किता- 2 रकवा-0.3640 हैक्टेयर



उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ



5- राधेश्याम पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर सा. देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	225	0.3035
2.	204/2	0.1351

योग किता- 2 रकवा-0.4386 हैक्टेयर

6- गंगादेई पत्नी घूरे हि० 1/2 रामविलास पुत्र गजाधर हि० 1/2 जाति ठाकुर सा. देह खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	204/3	0.2032

योग किता- 1 रकवा-0.2032 हैक्टेयर

7- रीता पत्नी विजेन्द्र जाति ठाकुर सा.देह. खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	188	0.3667

योग किता- 1 रकवा-0.3667 हैक्टेयर

8- राजेन्द्र पुत्र कोकसिंह जाति ठाकुर सा.देह. खातेदार।

क्र०सं०	ख०नं०	रकवा
1.	187	0.3288
2.	206/2	0.0533
3.	204/1	0.0411

योग किता- 3 रकवा-0.4232 हैक्टेयर

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक-पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक-पृथक खसरा नम्बर डालें जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20/2/25 को खुले न्यायालय मे




उपखण्ड अधिकांशी
सोनपट्टन
बिहार